न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 01/2024

श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री राधाकिशन, निवासी रावों का मौहल्ला, डींडवाडा, तहसील किशनगढ, जिला अजमेर ।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्योराम पुत्र श्री पांचू
2. सीताराम पुत्र श्री पांचू
3. दोनो जाति अहीर, निवासी पाटन, तहसील किशनगढ जिला अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री के0के0पुरोहीत. अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी 1 व 2
3. श्री ओम प्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 10.11.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पाटन तहसील किशनगढ में वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 हैक्टर अवस्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 20–13–0 बीघा से मुर्तिब किया गया है। उक्त आराजीयात पर पूर्व में मंशाराम पुत्र श्री रामनारायण तथा मोती पुत्र श्री रामनारायण सम्वत 2019 से 2028 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 लगायत 2033 के अनुसार लगातार काबिज काश्त रहे तत्पश्चात बालू पुत्र मंशा के पुत्र यथा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल पुत्रान श्री बालू आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है, सम्वत 2070 से उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रार्थी को अधोली/सिजारा काश्त पर प्रदान कर रखी है तब से प्रार्थी काश्त कर रहा है एवं अधोली श्री बालूराम के पुत्रो को अदा करता आ रहा है। अर्थात उक्त आराजीयात पर आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, इसके बावजूद दिनांक 21.7.1984 को उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन कर दी गयी। आवंटन आदेश से यह कहीं भी दर्शित नहीं होता है कि आवंटन से पूर्व नियम 5 के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की जांच करवाई गयी हो एवं ग्रामवासियान को आवंटन से पूर्व सार्वजनिक स्थान पर सूचना चस्पा कर सूचित किया गया हो, अर्थात आवंटन नियमों की कोई पालना किए बगैर आवंटन आदेश पारित कर दिया गया। जिससे रूष्ट होकर आवंटन निरस्त बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2, की ओर से श्री रूपक शर्मा अभिभाषक उपस्थित आये। जिनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र व प्रारम्भिक आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओ की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि ग्राम पाटन तहसील किशनगढ में वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 हैक्टर अवस्थित है जो साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 20–13–0 बीघा से मुर्तिब किया गया है। उक्त आराजीयात पर पूर्व में मंशाराम पुत्र श्री रामनारायण तथा मोती पुत्र श्री रामनारायण सम्वत 2019 से 2028 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 लगायत 2033 के अनुसार लगातार काबिज काश्त रहे तत्पश्चात बालू पुत्र मंशा के पुत्र यथा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल पुत्रान श्री बालू आज दिनांक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है, सम्वत 2070 से उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रार्थी को अधोली/सिजारा काश्त पर प्रदान कर रखी है तब से प्रार्थी काश्त कर रहा है एवं अधोली श्री बालूराम के पुत्रो को अदा करता आ रहा है। अर्थात उक्त आराजीयात पर आवंटी/अंप्रार्थी संख्या 1 तथा 2 का कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, इसके बावजूद दिनांक 21.7.1984 को उक्त आराजीयात अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन कर दी गयी। आवंटन आदेश से यह कहीं भी दर्शित नहीं होता है कि आवंटन से पूर्व नियम 5 के अनुसार आवंटन योग्य भूमि की जांच करवाई गयी हो एवं ग्रामवासियान को आवंटन से पूर्व सार्वजनिक स्थान पर सूचना चस्पा कर सूचित किया गया हो, अर्थात आवंटन नियमों की कोई पालना किए बगैर आवंटन आदेश पारित कर दिया गया। स्कूल का एस.आर रजिस्टर जिसमें जन्म दिनांक अंकित की जाती है जिसके अनुसार आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 श्योराम पुत्र पांचू का जन्म दिनांक 4.4.1978 को हुआ था जिससे बरवक्त आवंटन दिनांक 21.7. 1984 को अप्रार्थी संख्या 1 की उम्र मात्र 6 वर्ष थी जिससे अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग होकर आवंटन का पात्र नहीं था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा न्यायोचित रूप से जांच किये बिना आवंटन आदेश पारित कर दिया गया जो आवंटन नियमों के विपरीत होकर कतई अवैधानिक होने से काबिल निरस्त योग्य है। सम्वत 2019 से 2028 तक संलग्न खसरा गिरदावरियों के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात जिसके साबिक खसरा नम्बर 27 रकबा 20–13–0 बीघा थे पर मोती व मंशाराम पुत्रान श्री रामनारायण काबिज काश्त चले आ रहे है जैसा कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2025 लगायत 2028 में मोती 6–3–0 बीघा तथा मंशाराम 5–13–0 बीघा पर काबिज काश्त था, तत्पश्चात सम्वत 2030 में इनके द्वारा 14–1–0 बीघा बाजरा, 5–13–0 बीघा ज्वार, सम्वत 2032 में 2–15–00 बीघा जवार, एवं 7–0–0 बीघा चना तत्पश्चात सम्वत 2033 में 12–14–0 बीघा चना मंशा द्वारा काश्त की गई तत्पश्चात सम्वत 2034 से लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल पुत्रान श्री बालू द्वारा 14–1–0 बीघा जवार एवं 20–12–0 बीघा चना, सम्वत 2035 में 14–0–0 बीघा मूंगफली, सम्वत 2037 में 14–1–0 बीघा जवार सम्वत 2038 में 10 बीघा बाजरा व 10 बीघा जवार, सम्वत 2039 में 15 बीघा बाजरा व 5 बीघा बाजरा सम्वत 2040 में 16 बीघा बाजरा एवं 4–10–00 बीघा जवार एवं सम्वत 2041 में 7 बीघा जवार एवं 8 बीघा चना। इसी प्रकार लगभग सम्वत 2070 तक लगातार काबिज काश्त रहे। तत्पश्चात लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी को अधोली/सिजारे पर काश्त हेतु प्रदान की गयी तब से प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है एवं अधेली/सिजारा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल को अदा करता आ रहा है लेकिन सम्वत 2035 के बाद मौके पर काश्त करने वाले का नाम अंकित नही किया जाकर गैर खातेदार अथवा खातेदार का दर्ज किया जाता है अतः श्योराम का नाम दर्ज है लेकिन उसका कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की कोई

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

पालना नही की गई है। जिससे आवंटन आदेश दिनांक 21.07.1984 काबिल निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 श्योराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष राजस्व वाद संख्या 78/2023 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी सन 2023 में उसकी उम्र 45 वर्ष स्वयं द्वारा अंकित की गयी है जिससे भी श्योराम का जन्म सन 1978 में होना स्वयं सिद्ध है एवं आवंटन दिनांक 21.7.1984 को वह मात्र 6 वर्ष का नाबालिग होना भी स्वयं सिद्व है। वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्व में श्री मंशा तत्पश्चात बालू पुत्र मंशा के पुत्र यथा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उनके द्वारा ही अधोली पर भूमि प्रार्थी को काश्त हेतु दे रखी है इसी कारण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 द्वारा बालू पुत्रमंशा के पुत्रो यथा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल के विरूद्व उक्त स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। श्योराम द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 78/2023 के पैरा संख्या 1 के अनुसार उसके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 हैक्टर में वादीगण यथा श्योराम व सीताराम पुत्रान श्री पांचू दोनों का 1/2–1/2 हिस्सा निहित होना अंकित किया गया है जबकि आवंटन आदेश दिनांक 21.7.1984 तन्हा श्योराम के नाम जारी किया गया है जिससे स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आवंटन को उसके हक में अवैधानिक रूप से जारी किया जाना अदृश्य रूप से स्वीकार करता है। वैसे भी वादग्रस्त आराजीयात पर उपरोक्त वर्णित सजरा अनुसार सम्वत 2033 तक मंशाराम तथा उनके भाई मोती काबिज काश्त चले आ रहा है तत्पश्चात लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल पुत्रान श्री बालू काबिज काश्त चले आ रहे है एवं सम्वत 2070 से प्रार्थी द्वारा लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल से उक्त भूमि सिजारा/अधोली पर काश्त हेतु ले रखी है जिससे उनके निर्देशानुसार प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। आवंटन प्रार्थना पत्र के पृष्ठ संख्या 2 पर ग्राम पाटन के ही मंशा नामक व्यक्ति द्वारा अंगूठा चस्पा कर अंकित किया गया है कि उपरोक्त आवंटन से उसे कोई आपत्ति नही है जिसकी तस्दीक रामदयाल पुत्र मंशा द्वारा की गयी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 के पारिवारिक सजरे में मंशा के मात्र दो पुत्र बालू व पांचू होना स्पष्ट है अर्थात रामदायाल नामक कोई पुत्र नहीं है जिससे उक्त तस्दीक किस मंशा द्वारा की गयी एवं गवाहन रामदयाल पुत्र मंशा कौन है। आवंटन आदेश में तस्दीक हल्का पटवारी जो पृष्ठ संख्या 3 पर अंकित है के कॉलम संख्या 10 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 आवंटी के पिता का सम्वत 2027 से भू–संशोधन से कब्जा है, भू–संशोधन जमाबंदी में मंशा पुत्र रामनारायण के नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में मंशा पुत्र रामनारायण के वारिसान यथा बालू व पांचू पुत्रान श्री मंशा के सजरे से दर्शित समस्त वारिसान के नाम आवंटन किया जाना चाहिए था, आवंटी श्योराम के पिता पांचू का नाम कभी भी खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज नहीं है बल्कि मंशा व मोती पुत्रान श्री रामनारायण सम्वत 2023 तक काबिज काश्त रहे तत्पश्चात लक्ष्मण, रामसहाय व रामलाल पुत्रान श्री बालू काबिज काश्त चले आ रहे थे जिनके द्वारा सम्वत 2070 में अधोली/सिजारे पर काश्त हेतु प्रार्थी को प्रदान की जिससे वर्तमान में प्रार्थी काबिज है जिससे आवंटन आदेश के पृष्ठ संख्या 3 पर हल्का पटवारी द्वारा अंकित टिप्पणी भी तथ्यपूर्ण होना सिद्व है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पारित आवंटन आदेश दिनांक 21.07.1984 को निरस्त फरमा कर वादग्रस्त आराजीयात का नियमन आदेश प्रार्थी के हक में किये जाने का आदेश प्रदान करे। प्रार्थी अभिभाषक ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे (7) 2000, आर. आर.डी. Jan. 2002, आर.आर.टी 2006(2) पेश किये। इसके अतिरिक्त प्रार्थी अभिभाषक

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन द्वारा जारी अंकतालिका पेश की गई हैं।

अप्रार्थी अभिभाषक ने अपने जवाब एवं प्रारम्भिक आपत्तियां में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी का उपरोक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से कोई हक–अधिकार, स्वत्व निहित नहीं है प्रार्थी ग्राम पाटन का निवासी ही नहीं है एवं ना ही ग्राम पंचायत पाटन के सर्किल का निवासी है प्रार्थी केवल मात्र ऐनकेन, हैरान व परेशान करके जवाबकर्तागण की आराजीयात को हडप करने के उदेश्य से सद्भावना पूर्वक पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार से कोई LOCUS STANDI नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 21.07.1984 को आवंटन के वरवक्त अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर सजरा अंकित किया गया है एवं द्वितीय पृष्ट भाग पर मंशा पुत्र रामनारायण द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि NOC उपरोक्त आवंटन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है तत्पश्चात श्योराम के पक्ष में आवंटन किया गया है एवं तृतीय पृष्ट पर पटवारी द्वारा तस्दीक किया गया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 आवंटी की उम्र 20 वर्ष अंकित की गयी है एवं पटवारी रिपोर्ट की पैरा संख्या 5 के सामने यह भी अंकित किया गया है कि श्योराम के दो लडके व एक लडकी है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आवंटी की उम्र 6 वर्ष बताई गयी है जो सर्वथा पटवारी की रिपोर्ट से विपरित होने से झुठे कथन किये गये है 6 वर्ष उम्र बताई गयी है जबकी 6 वर्ष की उम्र के दो लडके व एक लडकी होना सम्भव नहीं है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा कल्पना से परे जाकर काल्पनिक व झुठे कथन अंकित किये गये है इस कारण प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्तनीय है एवं पटवारी रिपोर्ट के पैरा संख्या 10 में अंकित किया गया है कि प्रार्थी/आवंटी के पिता का सम्वत 2027 से भू–संशोधन से कब्जा है एवं भू–संशोधन की जमाबंदी में मन्शा पुत्र रामनारायण के दर्ज है इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात भू–संशोधन का अवशेष है भू–संशोधन के समय जिन खातेदारो के नाम भूमि थी उनके परिवारजन जवाब नामिल व्यक्ति के नाम पुनः आवंटन के आदेश किये गये थे इस कारण से प्रार्थना पत्र के द्वितीय पृष्ठ पर मंशा पुत्र रामनारायण ने आवंटन के वरवक्त एनओसी जारी की गयी थी एवं अंकित किया गया कि इस आवंटन से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस कारण पूर्ण कोरम एवं विधिवत जांच होने के पश्चात ही आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 आवंटी के पक्ष में आवंटन की गयी है चुंकि आवंटन कमेटी में स्वयं उपखण्ड अधिकारी एवं प्रधान, तहसीलदार, सरपंच के समक्ष समस्त सदस्यगणो अर्थात पूर्ण कोरम के साथ आवंटन की गई थी। प्रार्थी द्वारा स्वयं अपना पता, प्रार्थना पत्र के उनवान में ग्राम डिडवाडा तहसील किशनगढ अंकित किया गया है न तो प्रार्थी ग्राम पाटन का निवासी है न ही उक्त ग्राम पंचायत पाटन का निवासी है ना ही भूमिहीन कृषक है किस प्रकार से अपने पक्ष में नियमन आदेश करवाने का अधिकारी है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही जाति समुदाय का होने से वेमनष्यता रखता है एवं गरीब काश्तकारो के साथ ऐसी झुठी शिकायत कर कम दामो में जमीनों का खरीद फरौख्त का धंधा करता है एवं पैसा ऐठने के अवैध उदेश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 सीताराम पुत्र श्री पांचू को बिना किसी कारण के पक्षकार संयोजित किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता यह आचरण माननीय न्यायालय में सर्व सिद्व हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दोनो सगे भाई है अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त आराजीयात में 1/2

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

हिस्से का रजिस्टर्ड उपहार प्रलेख निष्पादित किया गया है यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब तक किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा दिया जाता है जब तक माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है इस परिपेक्ष्य में आरआरटी 2010 पेज संख्या 124 एवं आरआरटी 2008 (1) पेज 707 है, जवाबकर्ता उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार है एवं मौके पर काबिज काश्त है एवं जो एक बार खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के आवंटन खारिज बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं की जा सकती है खातेदारी निरस्त के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम अभिनिर्धारित है इस प्रकार वर्तमान में जवाबकर्तागण राजस्व रिकार्ड में खातेदार है। आवंटन से आज करीबन 40 वर्ष हो चुके है एवं जवाबकर्तागण को खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त हो चुके है इतने लम्बे समय बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष घोषणात्मक स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 78/2023, प्रार्थना पत्र संख्या 79/2023 बउनवानी श्योराम व अन्य बनाम लक्ष्मण वगैरह विचाराधीन है इस प्रकार वाद विचाराधीन होने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य प्रकटीकरण कर प्रार्थना पत्र के समर्थन में झूठे तथ्य अंकित कर गलत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है इस कारण धारा 340 सी0आर0पी0सी के तहत प्रार्थी के विरूद्ध अपराधिक संज्ञान लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ताकी किसी गरीब, असहाय व्यक्तियों के विरूद्ध झुठी शिकायत प्रस्तुत करने की माननीय न्यायालय में हिमाकत नहीं हो एवं माननीय न्यायालय की गरीमा कायम रह सके। वकील अप्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2024 (2) आर. आर.टी. 1321 दिनांक 29.07.2024, माननीय उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) एकल बेंच का निर्णय (2022) 3 आरएलडब्ल्यू 2136, (1995) डीएनजे 592, (2007) 1 डीएनजे 231 (2007) डब्लूएलसी 166 पेश किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.07.1984 को श्योराम पुत्र पांचू जाति अहीर निवासी पाटन तहसील किशनगढ को ग्राम पाटन तहसील किशनगढ के खसरा नम्बर 90 रकबा 05–13–00 आवंटन की गई थी। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी संख्या 01 की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन द्वारा वर्ष 1994–95 की कक्षा आठ की जारी जो अंकतालिका प्रस्तुत की गई है उसमें अप्रार्थी संख्या 01 की जन्मदिनांक 04 अप्रैल 1978 अंकित है। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 श्योराम पुत्र पांचू की वर्ष 1984 में आयु महज 06 वर्ष आयु थी। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग होकर तत्समय आवंटन का पात्र नहीं था लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा न्यायोचित रूप से जांच किये बिना आवंटन आदेश पारित कर दिया गया जो आवंटन नियमों के विपरीत होकर कतई अवैधानिक होने से काबिल निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 श्योराम द्वारा उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष राजस्व वाद संख्या 78/2023 वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें भी सन 2023 में उसकी उम्र 45 वर्ष स्वयं द्वारा अंकित की गयी है एवं आवंटन दिनांक 21.07.1984 को वह मात्र 6 वर्ष का नाबालिग होना स्पष्ट होता है। अप्रार्थीगण ने विवादित भूमि के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

सबंध में कब्जेकाश्त सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किए गए है। अतः प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम पाटन तहसील किशनगढ जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 5–13–00 बीघा भूमि का अप्रार्थी श्योराम पुत्र पॉचू के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार तत्काल नामान्तरकरण दर्ज कर राजहित में कब्जा प्राप्त करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर